

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) पंडरिया एवं भू-अर्जन अधिकारी, पंडरिया,
जिला कबीरधाम (छ०ग०)

ज्ञापन

क्रमांक/५७९/रीडर-१/अ.वि.अ./भू-अर्जन/२०२१

पंडरिया दिनांक ३१-०३-२०२१

प्रति,

संचालक,

जनसम्पर्क संचालनालय, (विज्ञापन शाखा)


जिला रायपुर (छ०ग०)

विषय :- आपसी सहमति से भूमि कय नीति २०१६ के तहत प्रारूप "क" का प्रकाशन बाबत।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला कबीरधाम के अंतर्गत "घोघरा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर विस्तारीकरण हेतु ग्राम परसवारा प.ह.न. ३९/४४ रा.नि.म. पण्डरिया तहसील पंडरिया जिला कबीरधाम छ०ग० के राजस्व प्रकरण क्रमांक २०२००६०८११०००२७/अ ८२ वर्ष २०१९-२० का प्रारूप "क" अनुमोदित दिनांक १७/०३/२०२० को आपके कार्यालय के वेबसाईट में अपलोड किया जा रहा है. कृपया एक स्थानीय समाचार पत्र एवं एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर मेटर की एक-एक प्रति इस कार्यालय एवं कलेक्टर जिला कबीरधाम को भिजवाने का कष्ट करें।

सहपत्र :- सूची


३१/३/२०२१

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं
भू-अर्जन अधिकारी,
पंडरिया

पृ. क्रमांक/५००/रीडर-१/अ.वि.अ./भू-अर्जन/२०२१

पंडरिया दिनांक ३१-०३-२०२१

प्रतिलिपि :-

१. कलेक्टर महोदय, (भू-अर्जन शाखा) जिला कबीरधाम छ०ग० की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
२. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., जिला कबीरधाम छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ एवं कृपया वेबसाईट पर अपलोड कर सूचना कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा में देना सुनिश्चित करें।
३. कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
४. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, पण्डरिया को सूचनार्थ। आप उक्त कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु अपने अधिनस्थ कर्मचारी को निर्देशित करें।
५. तहसीलदार पंडरिया, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ।
६. सरपंच/सचिव/ग्राम पंचायत परसवारा की ओर सूचनार्थ। कृपया सूचना पटल पर चस्पा कर सार्वजनिक करें।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं
भू-अर्जन अधिकारी,
पंडरिया


न्यायालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी जिला -कबीरधाम (छ.ग)

(प्रारूप-क)

राज्य शासन के विभाग /उपकम/संस्था - परियोजना प्रबंधक (सिंचाई परि योजना) छत्तीसगढ़ 'कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसा धन संभाग कवर्धा' जिला कबीरधाम (छ0ग0) विभाग के द्वारा घोषरा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर विस्तारीयकरण हेतु ग्राम परसवारा प.ह.न. 39 रा.नि.म. पण्डरिया तहसील पंडरिया जिला कबीर धाम छ 0ग0 के प्रभावित किसानों की निजी भूमि को "सार्वजनिक प्र योजना" के लिए आवश्यकता होने से राउ य शासन, उपकम/संस्था निम्नांकित कृषक की नीजि भूमि आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016 के तहत भू-अर्जन करना चाहता है :-

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	सरल क्रमांक	कृषक का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति	खसरा नम्बर	कय करने हेतु प्रस्तावित अर्जित रकबा		स्थावर परि सम्पत्तियों का विवरण	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
							एकड	हेक्टे.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पण्डरिया	परसवारा	1	रामकुमार पिता बाबुराम	आ.ज	713	0.14	0.056	-	मुख्य नहर निर्माण
2	पण्डरिया	परसवारा	2	नकुलराम पिता कलीराम	अन्य.पि.	714/1	0.27	0.108	-	मुख्य नहर निर्माण
		पण्डरिया				परसवारा	714/2	0.23	0.093	-
				कुलयोग-02	योग	1	0.50	0.201	-	मुख्य नहर निर्माण
						2	0.64	0.257		

यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के भीतर आपत्ति के आधार सहित दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के बाद प्रस्तुत दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।


 (रमेश कुमार शर्मा)
 कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी
 जिला-कबीरधाम